कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email ; cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक – 202 /12–1 अल्मोड़ा, दिनांक, 20.07.2015.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

विषय :– **चितई पंत तिराहे से हरि दत्त पेटशाली रा0इ0का0 मोटर मार्ग निर्माण (प्रस्ताव संख्या 9220/2015)।**

संदर्भ :– **नोडल अधिकारी की आपत्ति दिनांक 18.07.2015।**

महोदय,

उक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित वन भूमि हस्तान्तरण का ऑन–लाइन प्रस्ताव संस्तुति सहित नोडल अधिकारी को भेजे जाने पर भारत सरकार वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा इस प्रस्ताव में आपत्तियां सूचित की गयी है जिसकी प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया आपत्तियों का निराकरण कर तत्काल प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत करें ताकि इसे पुनः नोडल अधिकारी को प्रेषित किया जा सकें।

संलग्न–यथोपरि।

कार्यालय प्र० व० अल्मोड़ा,
प्राप्ति सं. 868
12-1(2)
दि. 25-07-15

भवदीय
(प्रेम कुमार)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

पत्रांक R 868/12-1(2) दि0 25-07-15

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो॰नि॰वि॰ अल्मोड़ा को संलग्न की प्रति इस आशय से प्रेषित की जाती है। कृपया संलग्न आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

संलग्न - यथोक्त

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा-263601

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

1. Short narrative of the project does not give adequate information about project.
2. Period for which forest land is proposed to be diverted is not mentioned.
3. Justification for locating project in forest area not satisfactory.
4. Total length of the road, length already approved & balance length proposed for approval do not tally.
5. Copy of the map indicating alternatives examined not attached. The map attached shows CA area only.
6. Date is not mentioned in the proceedings of SLC & Gram Sabha meetings under FRA & area is also not correct. GP names are also not mentioned.
7. In the CA area map only two GPS coordinates are given. More GPS coordinates are required.
8. Maintenance of CA plantation may be provided upto 10 yr as per practice in U.K.
9. In the additional documents, the no. of trees in forest area is given as 433 & that in nap land 361 totalling 794. But the no. of trees in forest land is given 794 in Part-II which may be reviewed. Accordingly, density of vegetation & rate of NPV may also be reviewed.
10. Working plan prescription for the forest land has not been given whereas 0.17 ha RF land is proposed for diversion.
11. Approximate distance of the proposed site of diversion from boundary of forest is not given.

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

E-mail-eeedalmorapwd@rediffmail. *Ph. No.- 05962-230091*

पत्रांक 1448 / 3 मो0 (व0 अ0) दिनांक 21 / 08 / 2015

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :– चितई पन्त तिराहे से हरीदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे पेटशाल तक वैकल्पिक मार्ग का निर्माण। (लं0 6.00 कि0मी0)

संदर्भः– आपका पत्रांक–आर 868 / 12–1(2) दि0 27.07.2015।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग के वनभूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में आप द्वारा लगायी गयी आपत्ति का निराकरण कर प्रस्ताव आनलाईन प्रेषित किया जा चुका है तथा हार्डकापी आपको प्रेषित की जा रही हैं। बिन्दुवार निराकरण निम्नवत् है–

बिन्दु सं0 1– प्रतिवेदन तैयार कर आपको प्रेषित किया जा रहा है।
बिन्दु सं0 2 द्वारा लगाई गयी आपत्ति का निराकरण आपके स्तर से किया जाना है।
बिन्दु सं0 3– नोट फॉर जस्टीफिकेशन तैयार कर आपको प्रेषित किया जा रहा है।
बिन्दु सं0 4– द्वारा लगाई गयी आपत्ति का निराकरण आपके स्तर से किया जाना है।
बिन्दु सं0 5– मैप में सी0ए0 एरिया दर्शाकर प्रेषित किया जा रहा है।
बिन्दु सं0 6– एफ0आर0ए0 तैयार कर आपको प्रेषित किया जा रहा है।
बिन्दु सं0 7– मैप में सी0ए0 एरिया में जी0पी0एस0 रीडिंग दर्शाकर प्रेषित किया जा रहा है।
बिन्दु सं0 8– क्षतिपूरक वृक्षारोपण 10 वर्षों के रख–रखाव हेतु तैयार कर प्रेषित किया जा रहा है।
बिन्दु सं0 9– वृक्षों की सूची तैयार कर प्रेषित किया जा रहा है।
बिन्दु सं0 10 व 11 द्वारा लगाई गयी आपत्ति का निराकरण आपके स्तर से किया जाना है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

भवदीय

(हस्ताक्षर) 20.08.15

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

बिन्दु संख्या- 6 1.6

प्रारूप-30.1

ANNEXURE-1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT ALMORA (U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes &other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S., deputy commissioner, Almora on date 01.12.14 at time 11:00 AM at Almora in which application claiming rights in **Chatai Pant** area measuring **2.43875 hec.** for the **for Construction of Link Motor Road from Chatai Pant tiraha to Hari datt Petshali Inter college (6.00 km.) in Almora-Ghat Motor Road** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Almora** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

(हस्ताक्षर) 01.12.14

Place; Almora

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

प्रारूप 30

मिन्दु संख्या - 6

16

FORM-1

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector: Almora

No.........................   Dated...29/09/2014.......

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF.s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 2.438 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Construction Division P.W.D Almora Uttarakhand for Construction of Chatai Pant tiraha to Hari datt Petshali Inter college Link Motor Road (8.00 km.) Construction Division P.W.D. (purpose for diversion of forest land) in Almora district falls within jurisdiction of Chatai Pant, Chatai pant tiwari, manyoli. Punakot. Petshal Village (s) in Almora tahsils.**

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 2.438 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to annexure.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Pre-agricultural at communities.

Encl: As above

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

29.09.14
Signature
(Vinod Kumar Suman)
District Collector
जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.

मिन्दु संख्या - 6
1.6

It is further certified that

S.No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 2.438 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee (s) and the District level Committee are enclosed as annexure I to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl: As above

29.09.14
Signature
(Vinod Kumar Suman)
District Collector
जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

बिन्दु संख्या-6
1.6

FORM-II

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector: Almora

No.......................... Dated. 1-12-14 ....

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, It is certified that 2.43875 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Construction Division P.W.D. Almora for Construction of Link Motor Road from Chatai Pant tiraha to Hari datt Petshali Inter college (6.00 km.) in Almora-Ghat Motor Road in Almora district falls within jurisdiction of Chatai Pant, Chatai pant tiwari, manyoli. Punakot. Petshal Village (s) in Almora tahsils**

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 2.43875 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure .... to annexure................
(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA. : YES
(c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that they have given t heir consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Chatai Pant, Chatai pant tiwari, manyoli. Punakot. Petshal** villages (s) is enclosed as annexure ....
(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was s quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES
(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES
(f) The rights of primitive tribal groups and pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA: NA

Encl: As above

01.12.14
Vinod kumar Suman
District Collector, Almora
जिला अधिकारी अल्मोड़ा

जिला समाज कल्याण अधिकारी अल्मोड़ा

बिन्दु संख्या-6
1.6

प्रपत्र–23.2 / प्रारूप 30.2

परियोजना का नामः– जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 6.00 किमी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी,

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति,

उपखण्ड **अल्मोड़ा** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य** (लम्बाई 6.00 किमी0) (0.2700 हे0 आरक्षित वन भूमि, **1.99875 हे0** सिविल सोयम भूमि तथा वन पंचायत भूमि **0.17 हे0** अर्थात कुल **2.43875 हे0** वन भूमि) का निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील सोमेश्वर) की दि0 24/09/015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्रीमती रिंकू बिष्ट .... उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्रीमती रिंकू बिष्ट.....उपजिलाधिकारी, अल्मोड़ा अध्यक्ष

2– **श्री भगवत सिंह जीना,** उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा, सदस्य

3– ....सहायक समाज कल्याण अधिकारी, अल्मोड़ा.... सदस्य/सचिव

4– श्री चन्दन सिंह रौतेला बी0डी0सी0 क्षेत्र चितई पंत, चितई तिवारी सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य** नि0ख0, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित **उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा,** द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

निनु संख्या-6
1.6

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ...अल्मोड़ा... परिक्षेत्र के अन्तर्गत **जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 6.00 किमी0)** परियोजना के निर्माण हेतु **2.43875 हे0** वन भूमि नि0ख0 लो0नि0वि0, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त **कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।**

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–................., जनपद अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–..................... जनपद अल्मोड़ा

निनु संख्या-6
1.6

प्रपत्र–23 प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम:– जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 6.00 किमी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम–

तहसील– जिला–अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा **में चितई पन्त तिराहे** से हरी दत्त **पेटशाल** इण्टर **कालेज पेटशाल तक** लिंक मार्ग का **निर्माण** कार्य (लम्बाई 6.00 किमी0) परियोजना के निर्माण हेतु 0.2700 हे0 आरक्षित वन भूमि, **1.99875 हे0** सिविल सोराम भूमि तथा वन पंचायत भूमि **0.17 हे0** अर्थात कुल **2.43875 हे0** वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चितई तिवारी द्वारा दि० 22/09/015 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के **प्राविधानों** के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **चितईतिवारी, चितई** पन्त, **मन्योली, पूनाकोट**, पेटशाल, **बाड़ी आदि ग्रामों** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र – चितई तिवारी
ग्राम सचिव

प्रधान
ग्राम प्रधान
विकास खण्ड हवालबाग
जिला – अल्मोड़ा

प्रपत्र—23.1/ प्रारूप 30.4 बिन्दु संख्या-6 1.6

दिनांक 22/02/015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	कैलाश राम	कैलाश राम
2	गोविन्द राम	गोविन्द राम
3	चन्दन राम	चन्दन राम
4	मनोज कुमार	मनोज कुमार
5.	दिवान सिंह	[illegible]
6.	हिरा सिंह	[illegible]
7.	गिरीश लाल	Ginolital

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र- चिर्राई तिवारी
वि०ख०-हवालबाग (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत चिर्राई तिवारी
विकास खण्ड हवालबाग
जिला - अल्मोड़ा

प्रपत्र—23.1/ प्रारूप-30.4 बिन्दु संख्या-6 1.6

दिनांक 22/02/015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	दिवान सिंह	दिवान सिंह
2	नाथू सिंह	नाथू सिंह
3	देवेन्द्र सिंह	देवेन्द्र सिंह
4	गोपाल सिंह	गोपाल सिंह
5	जैन्दर सिंह	जैन्दर सिंह
6	हर सिंह	हर सिंह
7	नवीन चन्द्र	नवीन चन्द्र
8	महेश सिंह	महेश सिंह
9.	Jakul Pandey	[illegible]

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र- चिर्राई तिवारी
वि०ख०-हवालबाग (अल्मोड़ा)

प्रधान
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत चिर्राई तिवारी
विकास खण्ड हवालबाग
जिला - अल्मोड़ा

बिन्दु संख्या-6 1.6

प्रपत्र–23

परियोजना का नामः– जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 6.00 किमी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम–

तहसील–   जिला–अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 6.00 किमी0) परियोजना के निर्माण हेतु 0.2700 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.99875 हे0 सिविल सोयम भूमि तथा वन पंचायत भूमि 0.17 हे0 अर्थात कुल 2.43375 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चितई तिवारी द्वारा दि0 22/09/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **चितईतिवारी, चितई पन्त, मन्योली, पूनाकोट, पेटशाल, बाड़ी आदि ग्रामों** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव   ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी क्षेत्र- चितई तिवारी वि0ख0-हवालबाग (अल्मोड़ा)

ग्राम पंचायत चितई तिवारी विकास खण्ड हवालबाग जिला - अल्मोड़ा

बिन्दु संख्या-6 1.6

प्रपत्र–23

परियोजना का नामः– जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 6.00 किमी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम–

तहसील–   जिला–अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में **जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 6.00 किमी0)** परियोजना के निर्माण हेतु 0.2700 हे0 आरक्षित वन भूमि, **1.99875 हे0** सिविल सोयम भूमि तथा वन पंचायत भूमि **0.17 हे0** अर्थात कुल **2.43375 हे0** वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चितई पंत द्वारा दि. 22/09/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **चितईतिवारी, चितई पन्त, मन्योली, पूनाकोट, पेटशाल, बाड़ी आदि ग्रामों** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव   ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी क्षेत्र- चितई पंत वि0ख0-हवालबाग (अल्मोड़ा)

प्रधान V. Pant

ग्राम पंचायत चितई पंत वि0ख0-हवालबाग (अल्मोड़ा)

बिन्दु संख्या – 6

प्रपत्र–23.1

दिनांक 22/02/015......... को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	हरीश लाल	[signature]
	मोहन आर्य	गिरीश राम
	जगदीश प्रसाद	[signature]
		बाची राम
	ललित कुमार	ललित कुमार
	मनोहर सिंह	[signature]
	नन्दा सिंह दिवा	पूरन राम
	[signature]	बलवन्त कुमार
	[signature]	राम लाल

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र – चितई पंत
विकासखण्ड (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान

प्रधान V. Pant
ग्राम पंचायत चितई पंत
विकासखण्ड (अल्मोड़ा)

बिन्दु संख्या – 6

प्रपत्र–23.3

परियोजना का नामः– जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य।
(लम्बाई 6.00 किमी0)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद–अल्मोड़ा के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 2.43375 हे0 वन भूमि नि0ख0, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति .... तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण–पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

01.12.14
जिला अधिकारी
अल्मोड़ा

जिलाधिकारी
अल्मोड़ा

बिन्दु संख्या-6 1·6

प्रपत्र–23.4

परियोजना का नामः– जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरि दत्त पेटशाली इण्टर कालेज तक लिंक मार्ग का निर्माण।

(लम्बाई 8 किमी0)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत प्रस्तावित जनपद अल्मोड़ा में तहसील अल्मोड़ा के अन्तर्गत चितई पन्त तिराहे से हरि दत्त पेटशाली इण्टर कालेज तक लिक मार्ग का निर्माण (लम्बाई 8 किमी0) परियोजना के निर्माण हेतु **2.438 हे0** वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा–सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agriculural Tribal Groups) प्रभावित नही हो रहे हैं।

29.09.14

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

जिलाधिकारी
अल्मोड़ा

बिन्दु संख्या-8 2·9

प्रपत्र–42

परियोजना विवरण :–जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग। (लम्बाई 6.00 किमी0)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन मय मानचित्र

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

वृक्षारोपण स्थल का नाम :–कालनू | क्षेत्रफल (है0) | 4.8775

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या (1100 पौधे/है0) | 5365 | 1100

क्र0 सं0	कार्य का नाम	इकाई (है0/सं0)	इकाई दर ()	योग
1	2	3	4	5
1	सर्वे एवं सीमांकन	4.8775	97.00	473.12
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि कार्य)	4.8775	950.00	4633.63
3	अग्रिम दीवाल बन्दी (फंन्सिग)	4.8775	10150.00	49506.63
4	मृदा एवं जल संरक्षण एव संग्रहण हेतु कच्चे चाल–खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्यो हेतु प्राविधान	4.8775	5500.00	26826.25
5	गड्डा खुदान (0.30X0.30X0.45)	5365	7.33	39327.28
6	निरीक्षण बटिया बनाना	4.8775	485.00	2365.59
7	पौधों का मूल्य	5365	5.89	31601.32
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र, सयन्त्र, औजार तेज करना एव अन्य कार्यो पर व्यय	4.8775	400.00	1951.00
9	अन्य कार्य	4.8775	250.00	1219.38
	योग :– (प्रथम चरण)			**157904.19**
	द्वितीय चरण			
1	गड्डा भरान (0.30X0.30X0.45)	5365	1.15	6170.04
2	पौधों का मूल्य	5365	1.15	6170.04
3	पौध ढुलान कार्य	5365	6.39	34283.95
4	पौधा रोपण व थावलाबन्दी	5365	2.06	11052.42
5	निराई, गुड़ाई व मल्चिंग (दो बार)	5365	0.76	4077.59
6	खाद व दवा पर व्यय	4.8775	420.00	2048.55
7	वृक्षारोपण वर्ष में अनुरक्षण पर व्यय	8 Month	5150.00	41200.00
8	वृक्षारोपण क्षेत्रो के अन्तर्गत			
	8.1 सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	4.8775	350.00	1707.13
	8.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाढ़ के बाहर 4मी0 की पट्टी साफ करना	4.8775	190.00	926.73
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्सान देना	4.8775	560.00	2731.40
9	अन्य व्यय साइन बोर्ड, पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा के बचने हेतु पॉलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यो को प्रचार–प्रसार एवं डेक्यूमेटेशन आदि कार्य	4.8775	450.00	2194.88

बिन्दु संख्या-8

10	अन्य कार्य	4.8775	150.00	731.63
	कुल योग प्रथम एवं द्वितीय चरण			**113294.33**
	वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रख–रखाव			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष मे अनुरक्षण कार्य	8 Month	5100.00	41200.00
2	2.1 वृक्षरोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एव ज्वलनशील प्रदार्थो को हटाना प्रति है0	4.8775	260.00	1268.15
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4मी0 पट्टी साफ करना	4.8775	215.00	1048.66
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रात्साहन देना	4.8775	450.00	2194.88
3	अन्य कार्य	4.8775	200.00	975.50
	योग :– (प्रथम वर्ष रख–रखाव)			**46687.19**
	वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख–रखाव			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	8 Month	5100.00	41200.00
2	अन्य कार्य	4.8775	200.00	975.50
	योग :– (द्वितीय वर्ष रख–रखाव)			**42175.50**
	वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख–रखाव			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	8 Month	5100.00	41200.00
2	अन्य कार्य	4.8775	200.00	975.50
	योग :– (तृतीय वर्ष रख–रखाव)			**42175.50**
	वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख–रखाव			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में अनुरक्षण कार्य	8 Month	5100.00	41200.00
2	अन्य कार्य	4.8775	200.00	975.50
	योग :– (चतुर्थ वर्ष रख–रखाव)			**42175.50**
	वृक्षारोपण का पाचवे वर्ष का रख–रखाव			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पांचवे वर्ष में अनुरक्षण कार्य	8 Month	5100.00	41200.00
2	अन्य कार्य	4.8775	200.00	975.50
	योग :– (पंचम वर्ष रख–रखाव)			**42175.50**
	वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रख–रखाव			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य	8 Month	5100.00	41200.00
2	अन्य कार्य	4.8775	200.00	975.50
	योग :– (छठे वर्ष रख–रखाव)			**42175.50**
	वृक्षारोपण का सातवें वर्ष का रख–रखाव			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य	8 Month	5100.00	41200.00
2	अन्य कार्य	4.8775	200.00	975.50
	योग :– (सातवे वर्ष रख–रखाव)			**42175.50**
	वृक्षारोपण का आठवे वर्ष का रख–रखाव			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य	8 Month	5100.00	41200.00
2	अन्य कार्य	4.8775	200.00	975.50
	योग :– (आठवे वर्ष रख–रखाव)			**42175.50**

बिन्दु संख्या-8

	वृक्षारोपण का नवें वर्ष का रख–रखाव			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य	8 Month	5100.00	41200.00
2	अन्य कार्य	4.8775	200.00	975.50
	योग :– (नवें वर्ष रख–रखाव)			**42175.50**
	वृक्षारोपण का दसवें वर्ष का रख–रखाव			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सातवे वर्ष में अनुरक्षण कार्य	8 Month	5100.00	41200.00
2	अन्य कार्य	4.8775	200.00	975.50
	योग :– (दसवें वर्ष रख–रखाव)			**42175.50**
	कुल योग :–			**697465.20**
	या :–			**697400.00**

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

वन क्षेत्र अधिकारी
अल्मोड़ा वन क्षेत्र

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

बिन्दु संख्या-9 3.15

प्रपत्र–19

परियोजना विवरण :– जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग। (लम्बाई 6.00 किमी0)

प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 8.12.2009 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित सिविल बेनाप भूमि, वन भूमि, आरक्षित भूमि, वन पंचायत भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :–

प्रस्तावित वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का भूमिवार/प्रजातिवार/व्यास वार विवरण।

क्र सं0	भूमि की श्रेणी	वन ब्लाक/कम्पार्टमैन्ट/खसरा सं0	प्रजाति	व्यास वर्ग							योग
				10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	
1	आरक्षित वन भूमि	सिराड़	चीड़– Pinus roxhurghii sarg	7	7	2	4	10	2	—	32
			कुल योग (आरक्षित वन भूमि)	**7**	**7**	**2**	**4**	**10**	**2**	—	**32**
2	सिविल सोयम भूमि	चितई तिवाड़ी	मेहल	2	—	—	—	—	—	—	2
3		चितई पन्त	चीड़– Pinus roxhurghii sarg	47	19	2	—	—	—	—	68
4		मन्योली	चीड़– Pinus roxhurghii sarg	71	12	15	5	5	—	—	108
			काफल	3	1	—	—	—	—	—	4
			मेहल	1	—	—	—	—	—	—	1
			सुरई	1	—	—	—	—	—	—	1
5		पूनाकोट	चीड़– Pinus roxhurghii sarg	50	47	27	14	2	—	—	140
			काफल	5	1	—	—	—	—	—	6
		बाड़ी	चीड़– Pinus roxhurghii sarg	28	9	5	2	—	—	—	44
			कुल योग (सिविल सोयम भूमि)	**208**	**89**	**49**	**21**	**7**	–	–	**374**
7	वन पंचायत भूमि	पेटशाल	चीड़– Pinus roxhurghii sarg	16	7	3	1	—	—	—	27
			कुल योग (वन पंचायत भूमि)	**16**	**7**	**3**	**1**	—	—	—	**27**
8	नाप भूमि	चितई तिवाड़ी	मेहल	1	—	—	—	—	—	—	1
			चीड़– Pinus roxhurghii sarg	1	—	—	—	—	—	—	1
			भीमल	3	—	—	—	—	—	—	3
9		चितई पन्त	चीड़– Pinus roxhurghii sarg	16	14	3	—	—	—	—	33
			मेहल	1	1	—	—	—	—	—	2
		मन्योली	चीड़– Pinus roxhurghii sarg	104	100	10	7	2	2	—	225
			मेहल	18	17	—	—	—	—	—	35
			काफल	5	—	—	—	—	—	—	5
			पदम	1	—	—	—	—	—	—	1
			खड़िक	—	1	—	—	—	—	—	1
			वकैन	1	—	—	—	—	—	—	1
			बेडू	2	—	—	—	—	—	—	2
			भीमल	—	1	—	—	—	—	—	1
		पूनाकोट	चीड़– Pinus roxhurghii sarg	27	8	8	1	—	—	—	44
			काफल	—	1	—	—	—	—	—	1
			वकैन	—	—	—	1	—	—	—	1
			खड़िक	—	—	1	—	—	—	—	1
			मेहल	3	—	—	—	—	—	—	3
			कुल योग (वन पंचायत भूमि)	**183**	**143**	**22**	**9**	**2**	**2**	–	**361**
			महायोग (आरक्षित+सि0सो0भू0+व0पं0भू0+ना0भू0)	**414**	**246**	**76**	**35**	**19**	**4**	–	**794**

बिन्दु संख्या-9

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

प्रतिहस्ताक्षरित प्रतिहस्ताक्षरित

राजि अधिकारी प्रभागीय वनाधिकारी राजस्व विभाग जिलाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

जिलाधिकारी अल्मोड़ा

प्रतिहस्ताक्षरित

उप जिलाधिकारी सदर अल्मोड़ा

तहसीलदार अल्मोड़ा

बिन्दु संख्या-9 2.15

प्रारुप–20

परियोजना विवरण :– जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग। (लम्बाई 6.00 किमी0)

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन।

आरक्षित वन भूमि / सिविल सोयम भूमि / वन पंचायत भूमि/ संरक्षित वन भूमि/ नाप भूमि

(आरक्षित वन भूमि)

क0सं0	वृक्ष प्रजाति का नाम	व्यास वर्ग	वृक्षों की संख्या	दर	कुल मूल्य
1	चीड़– Pinus roxhurghii sarg	10–20	7	70	490
		20–30	7	310	2170
		30–40	2	1085	2170
		40–50	4	2475	9900
		50–60	10	3395	33950
		60–70	2	5560	11120
		कुल योग	**32**		**59800**

(सिविल सोयम भूमि)

क0सं0	वृक्ष प्रजाति का नाम	व्यास वर्ग	वृक्षों की संख्या	दर	कुल मूल्य
1	मेहल	10–20	3	20	60
1	चीड़– Pinus roxhurghii sarg	10–20	196	70	13720
		20–30	87	310	26970
		30–40	49	1085	53165
		40–50	21	2475	51975
		50–60	7	3395	23765
2	काफल	10–20	8	65	520
		20–30	2	300	600
3	सुरई	10–20	1	65	65
		कुल योग	**374**		**170840**

(वन पंचायत भूमि)

क0सं0	वृक्ष प्रजाति का नाम	व्यास वर्ग	वृक्षों की संख्या	दर	कुल मूल्य
1	चीड़– Pinus roxhurghii sarg	10–20	16	70	1120
		20–30	7	310	2170
		30–40	3	1085	3255
		40–50	1	2475	2475
		कुल योग	**27**		**9020**

बिन्दु संख्या-9

(नाप भूमि)

क0सं0	वृक्ष प्रजाति का नाम	व्यास वर्ग	वृक्षों की संख्या	दर	कुल मूल्य
1	चीड़– Pinus roxhurghii sarg	10–20	148	120	17760
		20–30	122	240	29280
		30–40	21	900	18900
		40–50	8	1945	15560
		50–60	2	3445	6890
		60–70	2	5560	11120
2	मेहल	10–20	**23**	50	**1150**
		20–30	**17**	**210**	**3570**
3	बेडू	10–20	**2**	**20**	**40**
4	वकैन	10–20	**1**	**50**	**50**
5	भीमल	10–20	**3**	**50**	**150**
		20–30	**1**	**70**	**70**
6	तिमिल	10–20	**2**	**65**	**130**
7	पदम	10–20	**1**	**50**	**50**
8	काफल	10–20	**6**	**65**	**390**
9	खडीक	20–30	**1**	**210**	**210**
		30–40	**1**	**390**	**390**
महा योग (सि0सोयम+नाप भूमि)			**361**		**105710**
			794		**345370.00**
या					**345370.00**

प्रतिहस्ताक्षरित

राजि अधिकारी (हस्ताक्षर) उप0प्रा0अधि0 प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

(मोहर) उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग

(मोहर) प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

बिन्दु संख्या–9 2.15

प्रपत्र–20.1

परियोजना विवरण :– जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग। (लम्बाई 6.00 किमी0)

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश।

क्रसं0	क्षेत्र का नाम				व्यास वर्ग				योग
		10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	
1	आरक्षित वन भूमि	7	7	2	4	10	2	—	32
2	सिविल बेनाप	208	89	49	21	7	—	—	374
3	वन पंचायत	16	7	3	1	—	—	—	27
	योग	**231**	**103**	**54**	**26**	**17**	**2**	—	**433**
4	नाप भूमि	183	143	22	9	2	2	—	361
	कुल योग	**414**	**246**	**76**	**35**	**19**	**4**		**794**

राजि अधिकारी

उपराजिकारी

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

बिन्दु संख्या–9 2.15

प्रारुप–21

परियोजना विवरण :– जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग। (लम्बाई 6.00 किमी0)

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण

क0सं0	भूमि की श्रेणी	विद्यवान वृक्षों की संख्या	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या	विवरण
	आरक्षित वन भूमि	32	32	—
	सिविल सोयम बेनाप	374	374	—
	वन पंचायत	27	27	—
	संरक्षित वन	—	—	—
	योग :– वन भूमि	**433**	**433**	—
	नाप भूमि	**361**	**361**	—
	कुल योग :–	**794**	**794**	

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले कुल 794 वृक्षों में से वास्तविक रूप से केवल 794 वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

अधिशासी अभियन्ता, प्रयोक्ता एजेन्सी, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अल्मोड़ा

उपराजिकारी

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो० नि० वि० अल्मोड़ा

वन क्षेत्र अधिकारी अल्मोड़ा वन क्षेत्र

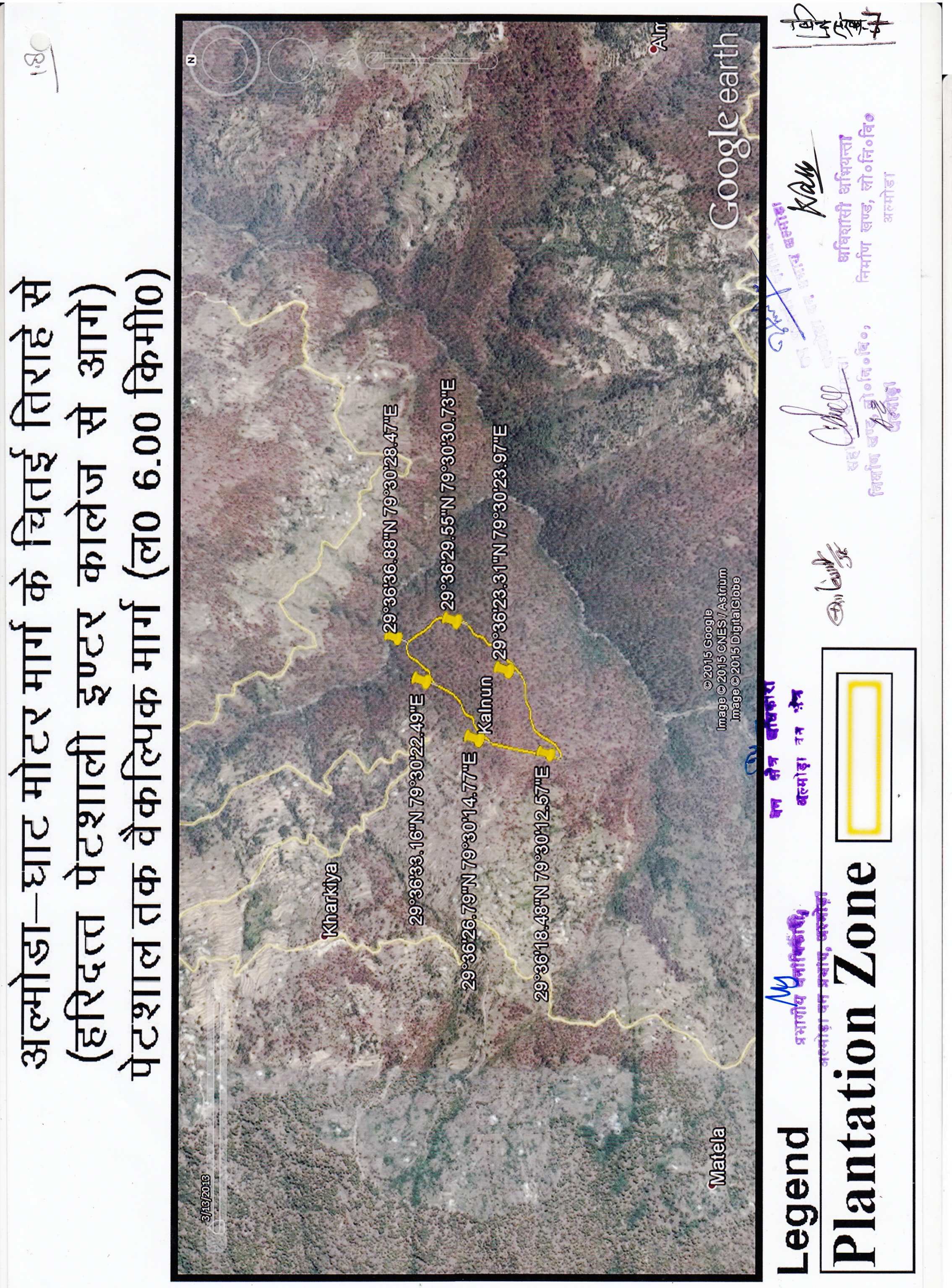

बिन्दु संख्या-1 2.1

प्रस्ताव के बारे में विवरण एवं प्रस्ताव की औचित्य एवं आवश्यकता

1: कार्य का नामः– **जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग।**

2: कार्य की स्वीकृत लम्बाई:– **6.00 किमी0**

3: कार्य की लागत:– ₹ 200.16 लाख

4: आगणन गठित करने का संदर्भ:– शा0सं0– 572/।।।(2) /2006–08 प्रा0आ0/06 दि0 28.03.2006 के अनुपालन में।

5: लोक सभा क्षेत्र का नामः– अल्मोड़ा–पिथौरागढ़

6: विधान सभा क्षेत्र का नामः– 52–अल्मोड़ा

7: लाभान्वित ब्लाक के नामः– हवालबाग

8: लाभान्वित ग्रामों का नाम/कोड सं:–

क0सं0	ग्राम का नाम	जनसंख्या
1	चितई तिवाड़ी	287
2	चितई पन्त	348
3	मन्योली	59
4	पूनाकोट	561
5	पेटशाल बाड़ी	35
	योग	**1290**

9: आगणन के मुख्य प्राविधानः– **मोटर मार्ग का नव निर्माण।**

10: **कार्य विषयक विस्तृत आख्या:–** उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रथम चरण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शा0दे0–5103(1)/।।।(2)/11–14(मा0मु0घो0)/11 दि0 26.09.2011 द्वारा **किमी0 10.00 लम्बाई** हेतु **₹ 126.00 लाख** की प्राप्त हुई है, मार्ग का प्रारम्भिक सर्वेक्षण कर दोनों समरेखनों का तुलनात्मक विवरण निम्नवत् है–

समरेखन 1:– इस समरेखन के अनुसार इस मोटर मार्ग अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के किमी0 10 है0 4–6 से (चितई पन्त) हरीदत्त पेटशाली द्वारा निर्मित मार्ग के प्रारम्भिक 125मी0 भाग से होते हुए ग्राम चितई पन्त, चितई तिवाड़ी ग्राम दमोड़ा, मन्योली, पाताल देवी को जोड़ते हुए पेटशाल में अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के किमी0 13 हेमी0 4–6 नौले के पास समाप्त होता है। मार्ग की लम्बाई 7.700 किमी0 आती है, परन्तु इस 2.00 किमी0 का समरेखन अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोडा का पत्रांक–1076/769सी0 दि0 5.05.2003 द्वारा स्वीकृत है एवं वन भूमि भी स्वीकृत है। इस पूरे समरेखन में 04नं0 15मी0 स्पान, 01नं0 6मी0 स्पान, 01नं0 8मी0 स्पान तथा 01नं0 12मी0 स्पान के पुल बनाने पड़ेगे तथा मार्ग में 6 हेअरपिन बैंड है, तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही मिलता है। इस संमरेखण के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत है।

समरेखन 2:– इस समरेखन के अनुसार इस मोटर मार्ग अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के किमी0 10 है0 4–6 से (चितई पन्त) हरीदत्त पेटशाली द्वारा निर्मित मार्ग के प्रारम्भिक 125मी0 भाग से होते हुए ग्राम चितई पन्त, चितई तिवाड़ी ग्राम दमोड़ा, मन्योली, पाताल देवी को जोड़ते हुए पेटशाल में अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के किमी0 13 हेमी0 4–6 नौले के पास समाप्त होता है। इस पूरे समरेखन में 03नं0 15मी0 स्पान, 01नं0 6मी0 स्पान, तथा 01नं0 12मी0 स्पान के पुल बनाने पड़ेगे तथा मार्ग में 10 हेअरपिन बैंड है, तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही मिलता है तथा समरेखन की लम्बाई अधिक है। इस संमरेखण के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं है।

उक्त क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अनाज, सब्जी फल आदि का उत्पादन होता है, परन्तु सड़क न होने से स्थानीय जनता का विपर्णन का कार्य नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त अल्मोड़ा जिला पर्यटन की दृष्टि से भी अग्रणीय हैं। सड़क बनने से इस क्षेत्र में पर्यटन की भी सम्भावनाऐं हैं। सड़क की व्यवस्था न होने के कारण ग्रामीण जनता को यातायात की सुविधा नहीं मिल पा रही है। उत्तराखण्ड शासन द्वारा उक्त ग्रामों को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग स्वीकृत किया गया है।

समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुसार सम्पादित कराये जायेंगे।

उपरोक्त गुण–दोष के आधार पर लाल रंग से दर्शाया गया समरेखन सं0–1 तकनीकि एंव उपर्युकता की दृष्टि से अधिक उपर्युक्त होने के कारण अनुमोदन हेतु संस्तुति कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0 अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0 अल्मोड़ा

बिन्दु संख्या 3 (3) 1.5

NOTE FOR JUSTI FICATION

परियोजना विवरण :— जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा—घाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग। (लम्बाई 6.00 किमी0)

उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग ग्राम **चितई तिवाड़ी, चितई पन्त, मन्योली, पूनाकोट तथा पेटशाल बाड़ी ग्रामों** से होकर गुजरता है जिनकी आबादी **1290** है। यह मार्ग अल्मोड़ा—घाट मोटर मार्ग के किमी0 10 है0 4—6 से प्रारम्भ होता है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी। वर्तमान में गांव की महिलाएं पानी, लकड़ी, चारा आदि लेने के लिये दूर जाती है। मार्ग निर्माण के पश्चात् उनका बहुमूल्य समय बचेगा साथ ही वें अपने घर और बच्चों को अधिक समय दे पाएंगी, जिससे कि बच्चों का लालन—पालन तथा पठन—पाठन ठीक से होगा तथा कुपोषण जैसी भारी समस्या दूर हो पाएगी। गांव में चिकित्सालय तथा विद्यालय खुलने के और नए अवसर मिलेंगे। ग्रामवासी अपने उत्तपादित फल, सब्जी, अनाज आदि को बाजार तक बिना किसी कठिनाई के ले जा पाएंगे साथ ही गांव विकास की ओर अग्रसर होगा एवं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

यह समरेखन सिविल भूमि (राज्य भूमि) तथा नाप भूमि से होकर गुजरता है। अन्य किसी श्रेणी की भूमि प्रभावित नहीं होती है। समरेखन के अन्तर्गत कोई मकान, मस्जिद, कब्रिस्तान का भाग नही पड़ता है।

उक्त मोटर मार्ग की लम्बाई 5.00 किमी है तथा मार्ग की चौड़ाई 9.00 मीटर ली गई है। मार्ग के निर्माण में **1.99875 है0** सिविल भूमि, वन पंचायत भूमि **0.270** है0, आरक्षित भूमि **0.170** है0 भूमि (कुल 2.43875 है0 भूमि) तथा नाप भूमि **2.96125 है0** प्रभावित होती है उक्त प्रयोजनार्थ इस भूमि हेतु न्यूनतम समरेखणों पर विचार किया गया है।

समरेखन 1:— इस समरेखन के अनुसार इस मोटर मार्ग अल्मोड़ा—घाट मोटर मार्ग के किमी0 10 है0 4—6 से (चितई पन्त) हरीदत्त पेटशाली द्वारा निर्मित मार्ग के प्रारम्भिक 125मी0 भाग से होते हुए ग्राम चितई पन्त, चितई तिवाड़ी ग्राम दमोड़ा, मन्योली, पाताल देवी को जोड़ते हुए पेटशाल में अल्मोड़ा—घाट मोटर मार्ग के किमी0 13 हेमी0 4—6 नौले के पास समाप्त होता है। मार्ग की लम्बाई 7.700 किमी0 आती है, परन्तु इस 2.00 किमी0 का समरेखन अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा का पत्रांक—1076/769सी0 दि0 5.05.2003 द्वारा स्वीकृत है एवं वन भूमि भी स्वीकृत है। इस पूरे समरेखन में 04नं0 15मी0 स्पान, 01नं0 6मी0 स्पान, 01नं0 8मी0 स्पान तथा 01नं0 12मी0 स्पान के पुल बनाने पड़ेगे तथा मार्ग में 6 हेअरपिन बैंड है, तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही मिलता है। इस संमरेखण के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत है।

समरेखन 2:— इस समरेखन के अनुसार इस मोटर मार्ग अल्मोड़ा—घाट मोटर मार्ग के किमी0 10 है0 4—6 से (चितई पन्त) हरीदत्त पेटशाली द्वारा निर्मित मार्ग के प्रारम्भिक 125मी0 भाग से होते हुए ग्राम चितई पन्त, चितई तिवाड़ी ग्राम दमोड़ा, मन्योली, पाताल देवी को जोड़ते हुए पेटशाल में अल्मोड़ा—घाट मोटर मार्ग के किमी0 13 हेमी0 4—6 नौले के पास समाप्त होता है। इस पूरे समरेखन में 03नं0 15मी0 स्पान, 01नं0 6मी0 स्पान, तथा 01नं0 12मी0 स्पान के पुल बनाने पड़ेगे तथा मार्ग में 10 हेअरपिन बैंड है, तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही मिलता है तथा समरेखन की लम्बाई अधिक है। इस संमरेखण के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं है।

उक्त को ध्यान में रखते हुए समरेखण नं0 2 को निरस्त कर समरेखण 01 को अधीक्षण अभियन्ता द्वारां अनुमोदित किया गया है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में 2.43875 है0 भूमि प्रभावित होती है जो न्यूनतम है। मोटर मार्ग की लम्बाई 6.00 किमी0 तथा चौड़ाई 9.00 मीटर में ली गई हैं। उक्त भूमि में मोटर मार्ग का निर्माण करने से पूर्व यह प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अतः प्रस्तावित सिविल भूमि (राज्य भूमि) का हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृत करने की कृपा करें।

कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
नि.ख.लो.नि.वि	नि.ख.लो.नि.वि	नि.ख.लो.नि.वि
अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा

बिन्दु संख्या-3 1.5 (3)

Alignment

Name of work- अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग चितई पन्त तिराहे से (हरी दत्त पेटशाली इंटर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मार्ग। स्वीकृत लम्बाई 8.00 किमी0, वास्तविक लम्बाई 7.700 किमी0

Sl. No.	Particular	Alignment No-1 (mark with Red ink)	Alignment No-2 (mark with green ink)
1	Topography	The road start from Almora-Ghat motor road Hm.4-6 to Haridatt Petshali road and goes Dhargarh, Chitaipant, Chitaitiwari, Pataldevi to Petshal	Same as alignment No.1
2	Length of Road	7.700Km.	8.500Km.
3	Bridging requirement No. and Length	4No. 15M. span, 1No. 6M. span, 1No.8M. span & 1No.12M. span	3No. 15M. span, 1No. 60M. span, 1No.12M. span
4	Geometric		
	(a) Gradients	1:17, 1:20 & 1:24	1:15, 1:18 & 1:20
	(b) Curves, H.P. Bends	6No. H.P. bends	10Nos. H.P. bends
5	Exiting means of communication, mule path, jeep, Tracks etc.	All villages connected by bridle road and village path.	Same as alignment No.1
6	Right of way, bringing out. Construction on account of built up areas, monuments and other structures	No such construction involved	Same as alignment No.1
	(a) Terrain & soil condition		
	(i) Nature of soil (ii) Geology of the area	E.&B., O.R., H.R. Hilly Terrain	E.&B., O.R., H.R. Hilly Terrain
	(b) Road length passing through		
	(i) Mountainous terrain	1.50Km.	2.50Km.
	(ii) Steep terrain	Nil	1.50Km.
	(iii) Rocky stretches with indication of length in loose rocky stretches	6Km. without rocky stretches -	5.850Km. without rocky stretches -
	(iv) Area subject to avlanches and snow drift	-	-
	(v) Slip Zone Area	-	0.150Km.
	Cliffs and gorges	-	-

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Schedule -B..doc

बिन्दु संख्या -3

	(vii) Drainage characteristics of the area including supceptibility to flooding (viii) General elevation of the road indicating maximum and minimum height negotiated by main ascends and discends (ix) Variations extants and types	Area has good drainage through country slopes and no susceptibility to flooding Maximum height is 1450M. Maximum height is 1250M. 5.775Km Nap land, 0.575Km. Nazul land, 0.700Km.forest panchayat 0.650Km.Reserve forest	Same as alignment No.1 Maximum height is 1450M. Maximum height is 1250M. 3.875Km.Nap land, 1.775Km. Nazul land, 1.075Km.forest panchayat, 1.775Km.Reserve forest
8	Climate condition: (a) Temperature monthly max.& min. reading. (b) Rainfall data average annual peak intensities monthly distribution(to the extent available) (c) Snowfall data average annual peak intensities monthly distribution(to the extent available) (d) Wind direction and velocities (e) Fog condition (f) Exposure to sun (g) Unusual weather conditions like cloud brust etc.	Mostly hot in summer and very cold in winter Negligible Rain fall Negligible snow fall Record not availabe Fog remain during rains Almost in all the year Nil	Mostly hot in summer and very cold in winter Negligible Rain fall Negligible snow fall Record not availabe Fog remain during rains Almost in all the year Nil
	Facilities resources (a) Landing ground (b) Dropping Zone (c) Food stuffs (d) Labour local availability and need for import	Not available Not available Crops, vegetables, fruits, Milk production area Local & Nepali labour also available	Not available Not available Crops, vegetables, fruitsm Milk production area Same as alignment No.1

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Schedule .B..doc

बिन्दु संख्या -3

	(c) Construction material (Timber, Bamboo, Sand, stone, shingle etc. extent of their availability and lead involved	Stone for constt. R/W will be available within average lead of 1½Km. sand is available from Haldwani gola river quarry.	Same as alignment No.1
10	Value of land, agricultural land, Irrigated land, built up land, forest land etc.	Agricultural land-5.775Km Irrigated land- Nil Built up land- Nil F. land & F.P., R.F.-1.925Km.	Agricultural land-3.875Km. Irrigated land- Nil Built up land- Nil F. land & F.P., R.F.-4.625Km.
11	Approximate Constt.Cost	Total cost Rs.296.36 lacs	Total cost Rs.414.88 lacs
12	Access point indicating possibility of induction of equipment	Can reach upto moteable terminal near Almora at present	Same as alignment No.1
13	Period required for construction	Approx.2years after transfer of land.	Same as alignment No.1
14	Strategic Consideration	To provide better communication	Same as alignment No.1
15	Important villages, towns and markets centres to be connected	All villages will be connected by motor road and Tehsil & Distt. head quarter.	Same as alignment No.1
16	Recreational potential	Nothing at present	Same as alignment No.1
17	Economic Factors: (a) Population served by the alignment (b) Agricultures and economic potential of the area	Appx.400 Limited at present. However it is expected to increase after construction of road.	Appx.300 Same as alignment No.1
18	Other major development projects being taken up electric projects etc.	Nil	Nil
19	(i) Misc. such as camping sites (ii) Law and other problem (iii) Royalty (iv) Availability of contractors for collection and carriage of construction material	Nil Nil Nil Local contractor are available for the work.	Nil Nil Nil Local contractor are available for the work.

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Schedule .B..doc

	(v) Working period available for construction of work	Almost whole the year except rainy season.	Almost whole the year except rainy season.
20	Merits	1-Hill side sope easy and no steep zone fall in this alignment. 2-Less cost involved in this alignment. 3- Easy grades involved. 4-Minimum agricultural length effected from this alignment.	Nil
21	Demerits	Nil	1-More cost involved in this alignment. 2- Stip grades involved. 3-More forest land effected. 4-More length of the alignment which is costly. 5-More agricultural length effected from this alignment. 6- In this alignment 10H.P. bends involved & 60M. span steel girder bridge will be made. 7- 0.150Km. sliding zone.

ECOMMENDATIONS:

lignment no.(1) shown with red ink is hereby recommended for approval being more useful & hnically feasible.

r Engineer
, P.W.D.
mora

Assistant Engineer
C.D., P.W.D.,
Almora

Executive Engineer
C.D., P.W.D.,
Almora

अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के चितई तिराहे से
(हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे)
पेटशाल तक वैकल्पिक मार्ग (ल0 6.00 किमी0)

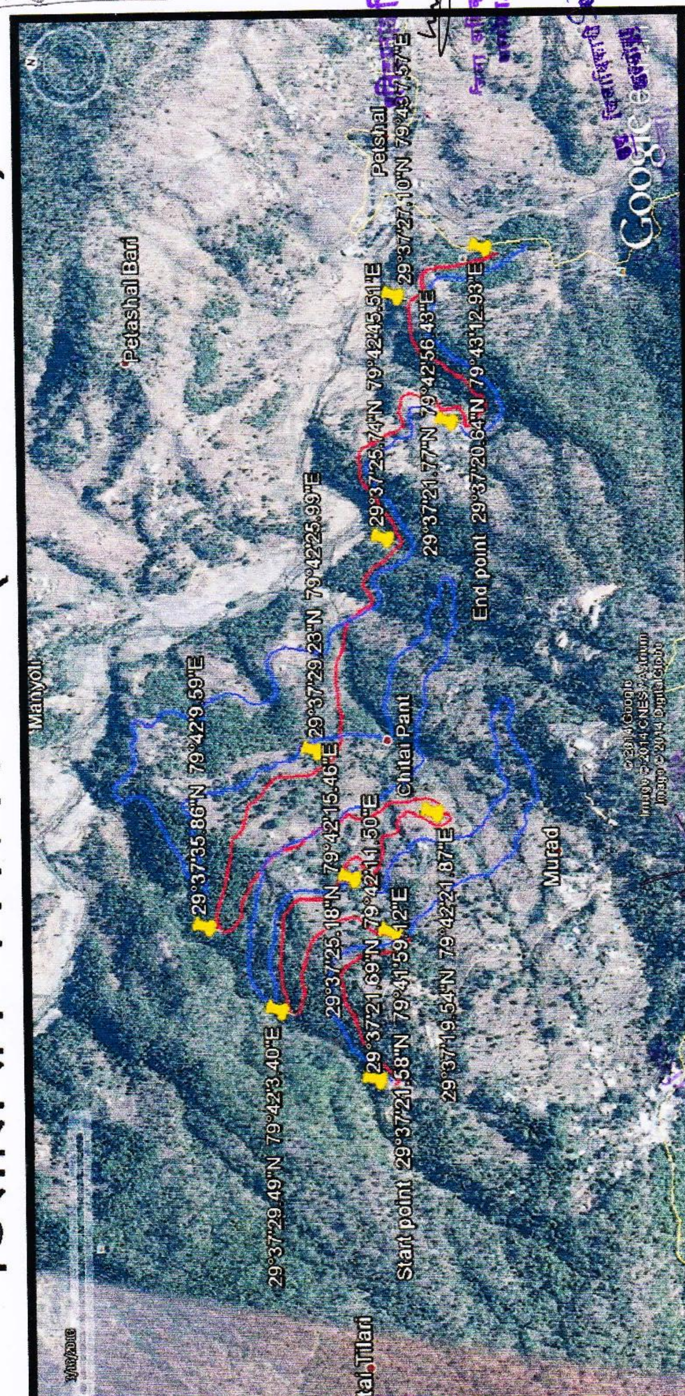

Proposed Road Alignment
Alternate Road Alignment